यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, प्रशासनिक खंड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादूनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रशासनिक खंड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की** के माह 06/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ),श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक22.10.2020 से 28.10.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2015से12.06.2015तक सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 10/2009 से 05/2015तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**पूर्ण भारतवर्ष से परीक्षण हेतु (सीमेंट/ रेत/ मृदा/ स्टील/ जल) नमूने प्राप्त किए जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त खंड के नियंत्रणाधीन मुख्य भवन एवं आवासीय कॉलोनी का अनुरक्षण कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(रु.लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैरस्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय |
| 2015-16 | - | - | 167434.90 | 167434.90 | 60.42 | 60.42 |
| 2016-17 | - | - | 163005.625 | 163005.625 | 21.44 | 21.44 |
| 2017-18 | - | - | 127030.550 | 127030.550 | 19.50 | 19.50 |
| 2018-19 | - | - | 125963.949 | 125963.949 | 49.78 | 49.78 |
| 2019-20 | - | - | 139262.00 | 13298.051 | 80.50 | 65.50 |
| 2020-21(माह 09/2020) तक) | - | - | 465 | 58348.641 | 24.25 | 23.77 |

वर्ष 2019-20से वेतन ग्लोबल बजट के तहत IFMS के द्वारा प्रमुख अभियंता (बजट) द्वारा आवंटित हो जाता है। अत: वर्ष 2020-21के आवंटन में संस्थान को भौतिक रूप से प्राप्त धनराशि दर्शायी गयी है जबकि व्यय में सम्पूर्ण मदों यथा वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य व्यय सम्मलित किया गया है जिससे अंतिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(`लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई "स"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, सिंचाई विभाग
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता (परिकल्प) एवं निदेशक,सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की
4. अधीक्षण अभियंता,शोध मण्डल, रुड़की
5. अधिशासी अभियंता,प्रशासन खंड, रुड़की

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, प्रशासनिक खंड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़कीको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, प्रशासनिक खंड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़कीकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माहजून 2015, मार्च 2017 एवं मई 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय एवं भिन्न वित्तीय वर्षों के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर-1: शासकीय आवासो के आवंटन के सापेक्ष ₹63.01लाख की लंबित वसूली।**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रशासन खंड,सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रुड़की के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आवासीय एवं अन-आवासीय भवनों का रख-रखाव और आवासीय भवनों का आवंटन का कार्य भी शामिल है। खंड द्वारा आवासो का आवंटन विभागीय "आवास आवंटन नियमावली" के प्रावधानों के अंतर्गत, विभागीय समिति के माध्यम से किया जाता है। खंड के अधीन आवासो का विवरण निम्नवत है।

| **कुलआवास** | | **भरेहुए (Occupied)** | **रिक्त(vacant)** |
|---|---|---|---|
| **श्रेणी** | **संख्या** | | |
| Type-I | 84 | 71 | 13 |
| Type-II | 46 | 43 | 03 |
| Type-III | 59 | 58 | 01 |
| Type-IV | 109 | 103 | 06 |
| **कुल** | **298** | **275** | **23** |

लेखा परीक्षा द्वारा आवासो के आवंटन और किराए (House Rent) एवं Flat Rent(License Fee/HRR) की वसूली से संबन्धित अभिलेखो (किराया पंजिका; वर्ष 2019-20 & 2020-21) की लेखा परीक्षा जांच (अक्तूबर 2020) में पाया कि, खंड के अधीन विभिन्न श्रेणी के आवासो में सिंचाई विभाग, उत्तराखंड के कार्मिक के अतिरिक्त अन्य शासकीय विभाग के कार्मिक, सेवानिवृत्त कार्मिक और अशासकीय लोगो को भी आवंटित किए गए है/आवासित है। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि 46 आवासितों/आवंटियों द्वारा HRA& HRRका नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त 46 आवासितों से कुल `63,00,633.00 (Annexure -I) की वसूली सितम्बर 2020 तक लंबित थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त 46 में से 11 आवासितों द्वारा आवास को खाली भी कर दिया गया है जिनके सापेक्ष `6,20,009.00 की वसूली लंबित थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वाराअवगत कराया गया कि आवासितों/आवंटियों को किराया जमा किए जाने हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है, किराया जमा न करने की दशा में आर॰ सी॰ काटकर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवंटियों द्वारा समय से किराया न जमा करने की स्थिति में नोटिस आदि के माध्यम से शासकीय धनराशि की नियमित वसूली सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः सेवानिवृत्त कार्मिको या अशासकीय लोगो से कुल `63,00,633.00की लंबित वसूली एवं अनधिकृत रूप से आवासित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग- दो'ब'

**प्रस्तर-2: निक्षेप मद के अन्तर्गत `38.71लाख की लम्बित वसूली**

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खंड-6) के प्रस्तर-580, 585, 633 व 634 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक खंडीय कार्यालय द्वारा किसी अन्य पक्ष/विभाग के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का मासिक लेखे फार्म-65 (Schedule of Deposit Works) एवं फार्म-67(Suspense Register) में रखे जाते है और ऐसे कार्यों पर किए जाने वाले व्यय को ग्राहक विभाग से प्राप्त निक्षेप की राशि तक सीमित रखा जाता है। कार्य पर निक्षेप की सीमा से अधिक हुए व्यय को "Miscellaneous P.W. advances"के तहत लम्बित वसूली के रूप वर्गीकृत कर तत्काल वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जानी होती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,प्रशासनिक खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की के अभिलेखों के अवलोकन (10/2020) में पाया गया था कि शासन द्वारा सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को अर्धकुम्भ-2016 से संबन्धित विभिन्न कार्यदायी ऐजेंसियों के निर्माण कार्यों के थर्ड पार्टी क़्वालिटी कंट्रोल/ एश्योरेंस एवं सामग्री परीक्षण का कार्य सौपा गया था जिसके लिए मेला अधिकारी, हरिद्वार द्वारा निर्धारित दरों का भुगतान सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को किया जाना था।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान द्वारा अर्धकुम्भ-2016 से संबन्धित विभिन्न कार्यदायी ऐजेंसियों के निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर कुल `63,17,937 की लागत के थर्ड पार्टी क़्वालिटी कंट्रोल/एश्योरेंस एवं सामग्री परीक्षण किए गए थे जिनके सापेक्ष कुम्भमेला अधिकारी, हरिद्वार द्वारा सिंचाई अनुसंधान संस्थान को `49,41,600 (फरवरी 2016 से अगस्त 2017 के मध्य) का भुगतान किया गया था और शेष `13,76,337 का भुगतान आज तक (10/2020) लम्बित है। वावजूद इसके, कार्यालय द्वारा न तो उक्त लम्बित राशि `13.76 लाख को अपने लेखो में उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधाओं के अनुसार "Miscellaneous P.W. advances"के रूप में वर्गीकृत किया गया था और न ही वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया था कि यह संस्थान महाकुम्भ-2021 से संबन्धित विभिन्न कार्यदायी ऐजेंसियों के निर्माण कार्यों के लिए भी थर्ड पार्टी क़्वालिटी कंट्रोल/एश्योरेंस एवं सामग्री परीक्षण हेतु नामित/अधिकृत है जिसके सापेक्ष सिंचाई अनुसंधान संस्थान द्वारा माह 10/2020 तक निर्धारित दरों पर कुल `24,94,939 का कार्य निष्पादन किया जा चुका है परन्तु उक्त के सापेक्ष कुम्भमेला अधिकारी, हरिद्वार से कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी कि कार्यालय द्वारा कुम्भमेला अधिकारी, हरिद्वार के वीरुध उक्त लम्बित वसूली `24.95 लाख को अपने मासिक लेखों में भी नहीं दर्शाया जा रहा था।

अधिशासी अभियंता,प्रशासनिक खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों/ लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकारते हुए उत्तर दिया गया था कि अवशेष धनराशियों की प्राप्ति हेतु कुम्भमेला अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर संतोषजंक नहीं था क्योंकि कार्यालय द्वारा इन धनराशियों की प्राप्ति हेतु उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई थी।

अतः निक्षेप मद की लंबित्त वसूली `38.71लाख का यह प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 22/2015-16 | -- | 01 | 01 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रस्तरों के उत्तर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं। | | | | |

## भाग-IV

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

--शून्य–

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रशासनिक खंड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) माप पुस्तिका संख्या 1124

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

| **क्र. सं.** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1) | श्री दीक्षांत | अधिशासी अभियंता | 13.02.2013 से 04.07.2015 तक |
| 2) | श्री एस.के. श्रीवास्तव | अधिशासी अभियंता | 04.07.2015 से 24.10.2017 तक |
| 3) | श्री एम.के. खरे | अधिशासी अभियंता | 24.10.2017 से 08.02.2018 तक |
| 4) | श्री सी.पी. कोठियाल | अधिशासी अभियंता | 08.02.2018 से वर्तमान तक |

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालय**अधिशासी अभियंता, प्रशासनिक खंड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की** कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

**वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी**
**ए॰एम॰जी॰ - I**